%Eo%A4%A4%Eo%A4%BF&action=edit)

भारत में स्थानीय सरकार— राज्य के स्तर से नीचे के सरकारी अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करता है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि कस्बों, गांवों और ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग स्थानीय परिषदों का चुनाव करते हैं और उनके प्रमुख उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए अधिकृत करते हैं। भारत सरकार के तीन क्षेत्रों के साथ एक संघीय गणराज्य है: केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। 73वां और 74वां सवैधानिक संशोधन स्थानीय पहचान मान्यता और संरक्षण प्रदान करते हैं और इसके अलावा प्रत्येक राज्य का अपना स्थानीय सरकार कानून है। [1] भारत के प्रशासनिक प्रभागों के भीतर, लोकतांत्रिक

रूप से चुने गए स्थानीय शासन निकायों को नगर पालिकाए कहा जाता है। शहरी क्षेत्रों में और पंचायती राज संस्थान (पी॰ आर॰ आई॰), (सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत कहा जाता है)। जनसंख्या के आधार पर 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या के साथ, नगर परिषदें 25,000 से अधिक और 10,00,000 (10 लाख) से कम और 25,000 से कम आबादी वाली नगर पंचायत। ग्रामीण क्षेत्रों में पी॰ आर॰ आइ॰ में पंचायतों के 3 पदानुक्रम हैं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, मंडल या ब्लॉक पंचायत ब्लॉक स्तर पर, और जिला पंचायतें जिला स्तर पर[2] इत्यादि हैं।

शहरी स्थानीय शासन निकाय

भारत में निम्नलिखित तीन प्रकार के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित शहरी स्थानीय शासन निकायों को नगरपालिका कहा जाता है इन्हें शहरी बस्ती की आबादी के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:— एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों का "नगर निगम" कहा जाता है। 25,000 से अधिक और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की नगरपालिका परिषद, जिन्हें "नगर पालिका" या "नगर पालिका परिषद" भी कहा जाता है। [3] 10,000 से अधिक वाले और 25,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र जिसे राज्य के आधार पर "नगर परिषद" या "नगर पंचायत" या "अधिसूचित क्षेत्र परिषद" या

कार्य और शक्तियाँ

भारत में सभी नगरपालिका अधिनियम नगरपालिका सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यी, शक्तियों और जिम्मेदारियों को प्रदान करते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बाँटा गया है : अनिवार्य और विवेकाधीन। अनिवार्य कार्य के अन्तर्गत शुद्ध और स्वस्थ पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण और रखरखाव, आदि शामिल हैं। विवेकाधीन कार्य में क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करना, रखतरनाक इमारतों या स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना, महिलाओं के लिए सुरक्षा आवास, सार्वजनिक भवनों के निर्माण और रखरखाव शामिल है।

ग्रामीण स्थानीय शासन निकाय

भारतीय गाँवों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित स्थानीय भासन निकायों को पंचायती राज संस्थाएँ कहा जाता है जो वैदिक युग की देशी लोकतांत्रिक पंचायत (पाँच अधिकारियों की परिषद) प्रणाली पर आधारित हैं। दो मिलियन से अधिक निवासी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्था के निम्निलिखित तीन वर्गीकरण मौजूद हैं: सामुदायिक विकास खंड के स्तर पर पंचायत समिति या मंडल परिषद् या ब्लॉक पंचायत या तालुक पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद/जिला पंचायत।

कार्य और शक्तियाँ

भारतीय संविधान के भाग 9 में परिभाषित है कि ये "आर्थिक विकास, और सामाजिक न्याय को मजबूत करने" सहित ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ कार्य और शक्तियाँ जो पहले केंद्र सरकार या राज्यों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में थीं, स्थानीय पंजीकृत लोगों को हरा कर दी गई। इन कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

संदर्भ

- "भारत में स्थानीय सरकार प्रणाली" (http:// www.clgf.org.uk/default/assets/File/Cou ntry_profiles/India.pdf) (PDF).
 Commonwealth Local Government Forum.
- 2. भारत की पंचायती राज संस्थायें (http://www. ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.h tm?keps2=8-10)
- 3. "National Council Of Educational Research And Training :: Home" (http:// www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textb ook.htm?keps2=8-10). www.ncert.nic.in. अभिगमन तिथि: 2019-07-22.

[&]quot;https://hi.wikipedia.org/w/index.php? title=भारत_में_स्थानीय_सरकार&oldid=6217990" से प्राप्त